

### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2582] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कार्तिक 21, 1935 No. 2582] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

# श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2013

का.आ. 3422(अ).—केन्द्रीय सरकार कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 41च की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत् :—

- 1. (1) इन संशोधनों को कारखाना अधिनियम (दूसरी अनुसूची) संशोधन, 2013 कहा जाएगा।
  - (2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
- 2. दूसरी अनुसूची में क्रम संख्या 116(ख) की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत् :-
  - "(ख) एमार्फस सिलिकेट्सः 10 मि.ग्रा./मी<sup>3</sup>, कुल धूल

[एस्बेसटस (एच.सी.

(ग) पोर्टलैंड सीमेंट: 10 मि.ग्रा./मी<sup>3</sup>, कुल धूल जिसमें 1% से कम क्वार्टज हो।

(घ) कोयला धूल : 2 मि.ग्रा./मी<sup>3</sup>, श्वसनीय धूल क्षरण जिसमें 5% से कम क्वार्टज हो।

4721GI/2013 (1)

एमपीपीसीएम = वायु में प्रति क्यूबिक मीटर मिलियन पदार्थ, प्रकाश क्षेत्र तकनीकों द्वारा गणना किए गए इंपीन्जर प्रतिदर्शों के आधार पर।

- \*\*\*(i) 5 μमी. की लंबाई से अधिक और 5 μमी. की चौड़ाई से कम के फाइबरों के लिए लंबाई और चौड़ाई का औसत 3:1 के समान अथवा अधिक होगा।
- (ii) मेम्ब्रेन फिल्टर पद्धित द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार 400-450 × आवर्धन (4 मिमी की वस्तु) फेज कंटास्ट प्रदीपन।"

[फा. सं. एस-25016/01/2012-आईएसएच-II]

ए. सी. पाण्डेय, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2013

**S.O. 3422(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 41F of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Central Government hereby make the following amendments to the Second Schedule in the said Act, namely:—

- (1) These amendments shall be called the Factories Act (Second Schedule), Amendment, 2013.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- (2) In the Second Schedule for the entries at serial number 116 (b), the following shall be substituted, namely:-
  - "(b) Amorphous Silicates: 10 mg/m³, Total Dust

[Asbestos (H.C.

- (c) Portland cement: 10 mg/m<sup>3</sup>, Total dust containing less than 1% quartz.
- (d) Coal Dust : 2mg/m³, respirable dust fraction containing less than

5% quartz.

mppcm = Millions particles per cubic metre of air, based on impinger samples counted by light field techniques.

- \*\*\* (i) For fibres greater than 5  $\mu$ m in length and less than 5  $\mu$ m in breadth with length to breadth ratio equal to or greater than 3:1.
  - (ii) As determined by the membrane filter method at 400-450 x magnification (4mm objective) phase contrast illumination."

[F. No. S-25016/01/2012-ISH-II]

A. C. PANDEY, Jt. Secy.